

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 563]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2010—आश्विन 29, शक 1932

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 12-44-2010-सत्रह-मेडि-तीन.—राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के सदस्य को निधि के अंतर्गत चिन्हित गंभीर जानलेवा बीमारियों के उपचार हेतु केवल एक बार राशि रुपये 1.50 लाख (रुपये एक लाख पचास हजार) तक की राशि राज्य स्तरीय समिति द्वारा एवं राशि रुपये 75,000/- (रुपये पचहत्तर हजार) तक की राशि जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत करने का प्रावधान था.

2. राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य बीमारी सहायता निधि नियम, 1997 के नियम, 5 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 2 सितम्बर 1997 एवं 25 जनवरी 2006 को प्रकाशित किये गये हैं, में आंशिक संशोधन करते हुये, राज्य स्तरीय समिति द्वारा अधिकतम राशि रुपये 1.50 लाख (रुपये एक लाख पचास हजार) के स्थान पर राशि रुपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख) तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा राशि रुपये 75,000/- (रुपये पचहत्तर हजार) के स्थान पर राशि रुपये 1.00 लाख (रुपये एक लाख) तक स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान करता है.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 1444-2010-नियम-चार, दिनांक 14 सितम्बर 2010 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश जैन, उपसचिव.